E-mail

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 अरेरा हिल्स किसान भवन भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/जीपीएफ/पर्ची/23-24/1241 भोपाल दिनांक 14/08/2023

प्रति,

(1) संयुक्त संचालक/कार्यपालन यंत्री,
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय/तकनीकी कार्यालय.................(समस्त)

विषय:- सामान्य भविष्य निधि अंतिम प्रत्याहरण की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव चेक लिस्ट अनुसार भेजने के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमाक/बोर्ड/लेखा/जीपीएफ/अं.वि./2018/602, दिनांक 06.10.2018

-0-

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा राज्य विपणन सेवा के अधिकारी/कर्मचारी जिनके सामान्य भविष्य निधि खाते आंचलिक कार्यालयों में संधारित है, उनके सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि अंतिम विकर्षण की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव भेजने के निर्देश जारी किये गये थे।

प्रायः देखा जाता है कि संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करते हुए सामान्य भविष्य निधि अंतिम विकर्षण की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव अधूरे प्रेषित किये जाते है, जिसके कारण प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण पर अनेक कमियां पाई जाने से प्रस्ताव वापिस भेजे जाते है,जिससे स्वीकृति एवं भुगतान में अनावश्यक विलंब होता है। सामान्य भविष्य निधि अंतिम विकर्षण की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव लंबित रहने से सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सी०एम०हेल्पलाईन, मानव अधिकार आयोग एवं जन शिकायत निवारण केन्द्र आदि में शिकायत दर्ज कराई जाती है। उक्त शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक कार्यालयीन समय का दुरूपयोग होता है एवं मण्डी बोर्ड की छबि भी धूमिल होती है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि राज्य विपणन सेवा के सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तिथि से 4 माह पूर्व अंतिम विकर्षण संबंधी प्रकरण तैयार करने की प्रक्रिया संबंधित मण्डी समिति/आंचलिक अधिकारी द्वारा प्रारंभ कर दी जाये। प्रस्ताव मूल प्रति में ही भेजा जावे,ईमेल से प्राप्त प्रस्ताव मान्य नहीं होंगें। अंतिम विकर्षण की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव भेजते समय निम्नानुसार प्रपत्रों को अनिवार्य रूप से संलग्न किया जावें:-

1- निर्धारित प्रपत्र (पांचवी अनुसूची) में आवेदन भाग-एक एवं दो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो।

2- सामान्य भविष्य निधि का विगत तीन वर्षों में जमा अंशदान तथा व्याज गणना पत्रक(लेजर)।

3- सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते की पास-बुक की सत्यापित प्रति।

4- अभिदाता की मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।

5- अभिदाता की मृत्यु की दशा में नामनिर्देशन संवंधी अभिलेख।

उपरोक्त सभी प्रपत्र अभिप्रमाणित किये जाकर प्रकरण आपकी स्पष्ट अनुशंसा के साथ भेजे जावें। अपूर्ण प्रस्ताव भेजे जाने के कारण विलंब की स्थिति में आप स्वयं जवाबदार होंगें। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन वोर्ड,
भोपाल